प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या – 69 (17) दिनांक – 29.01.2016 के आलोक में निहित शर्तो के अधीन डा0 विजय कुमार प्रसाद, प्राध्यापक (मानदेय) के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा/मानदेय के आधार पर एफ0एम0टी0 विभाग में प्राध्यापक के रिक्त पद पर दिनांक – 15.03.16 के पूर्वा0 में अपना योगदान दिए हैं, को अधिकतम तीन वर्षो तक के लिए अथवा प्राध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा इनकी 70 (सत्तर) वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो) के लिए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत किया जाता है । डा0 प्रसाद, प्राध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि आप प्राध्यापक के पद पर एफ0एम0टी0 विभाग में कार्य करेंगे ।

डा0 विजय कुमार प्रसाद, प्राध्यापक, एफ0एम0टी0 विभाग के मानदेय का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या – 1267 (17) दिनांक – 28.11.2013 के निहित शर्ताधीन देय होगा ।

ह0/–
प्राचार्य

ज्ञापांकः– 658/16 दिनांकः– 19/03/16

प्रतिलिपिः–

1) डा0 विजय कुमार प्रसाद, प्राध्यापक (मानदेय), एफ0एम0टी0 विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि आप अपना जाति प्रमाण – पत्र का नवीकरण कराकर अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके ।
2) विभागाध्यक्ष, एफ0एम0टी0 विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3) प्रभारी प्राध्यापक (प्र0)/पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
4) बरसर/लेखापाल/विपत्र लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5) महालेखाकार, बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
6) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
7) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
8) सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके अधिसूचना संख्या – 69(17) दिनांक – 29.01.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

19/3/16.
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर